

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची।

आदेश

पत्रांक: 3 / पी.एम.सी. / 64 / 13 / राँची, दिनांक:.....

दिनांक—26.06.2013 को Rain Water Harvesting and Ground water Recharging विषय से संबंधित कार्यशाला में हुए विमर्श के आधार पर Actionable Work Plan तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति निम्नवत् गठित की जाती है:—

- | | | |
|------|---|--------------|
| i | प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, | — अध्यक्ष |
| ii | विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, | — सदस्य |
| iii | अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग, | — सदस्य |
| iv | अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, | — सदस्य |
| v | परामर्शी—II, जल संसाधन विभाग, | — सदस्य |
| vi | निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, | — सदस्य—सचिव |
| vii | नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि, | — सदस्य |
| viii | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि, | — सदस्य |
| ix | श्री डी० साहा, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड,
पटना, | — सदस्य |
| x | श्री के० भी० के० कृष्णामूर्ति संयोजक, केन्द्रीय
विश्वविद्यालय, राँची | — सदस्य |
| xi | श्री टी० एन० मिश्रा, तत्कालीन निदेशक,
खनन एवं भूतत्व विभाग, बिहार, | — सदस्य |
| xii | श्री के० आर० गोपीनाथ, रेन वाटर हार्मस्टिंग
फाउण्डेशन, चेन्नई, | — सदस्य |

उक्त समिति विमर्शोपरान्त Actionable Work Plan तैयार कर विभाग को प्रतिवेदित करेगी।

₹०/-

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)
राँची, दिनांक:.....

पत्रांक: 3 / पी.एम.सी. / 64 / 13 /

प्रतिलिपि:—समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3 / पी.एम.सी. / 64 / 13 /

प्रतिलिपि:—वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबासाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Subodh Kumar Sinha
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)